Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 279-282
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी

अर्चना भट्टाचार्य
अध्यापिका, हिन्दी विभाग, जि. एल. चोधुरी महाविद्यालय, बरपेटारोड

Abstract

*Creation and Teaching in Hindi Literature has been a long tradition in front of us. The relation of National Language is considered with nationalism. A particular language of a country for various reasons like political, religious etc. is commonly used. In a civilised society or a country, a language is necessary to exchange their thought which is commonly spoken and understood. Hindi is being circulated in the various countries in the world. When a language is recognised by an organisation, or by state constitution and the language is used its government activities is called a "National Language". There may be one or more languages. The **Eight schedule** of Indian Constitution has recognised 22 languages. These languages are used in various purposes. National Language Mother Tongue is not only essential for a country but also a matter to be most honour of the country. India is the only country in the world where various cultural flows have grown. To know the actual status of Hindi, it is necessary to know the difference between National language and State language as well as its constitutional status. There is a common idea among the people that National language and State language both are same, but there is vast difference.*

Through the publication paper, a research article will be prepared where it is shown that how Hindi Language is used as National and State Language.

1. **भूमिका:** हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सित□बर सनÄ 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संविधान में राजभाषा के स□ बन्ध में धारB43 से 352 तक की व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सित□ बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा का होना गौरव की बात होने के साथ ही अत्यधिक स□मान देनेवाला भी होते है। भारत वर्ष पूर्व विश्व में अकेला ऐसा देश है, जिसकी धारा ने अनेक संस्कृतियों का जन्म हुआ। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक भाषाएं पुष्पित एवं पल्लवित हुई।

हिन्दी की वास्तविक स्थिति के अवलोकन हेतु राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का अतंर तथा संवैधानिक स्थिति को समझना जरूरी है। प्राय: आमजनों में यह धारना है कि राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों एक ही अर्थ रखते है, जबकि दोनें में स्पष्ट अंतर है।

2. **राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा:** संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रुप में हिन्दी व देवनागरी को

लिपि के रुप में मान्यता मिली। भारतीय संविधान के 14 सित बर, 1949 को हिन्दी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सित बर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रान्तों के राज्य विधान मण्डलों का कार्य राज्य को राजभाषा में हिन्दी अंग्रजी में होगा।

अनुच्छेद 344 के अनुसार प्रार भ से 5 वर्ष को समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जानेवाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। साथ ही अंग्रजी त्यायलयो में प्रयु€त होनेवाली भाषा के स्वरुप, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंको का रुप तथा संध की राजभाषा तथा राज्य तथा राज्य के बीच या एक दुसरे राज्य के बीच भाषा स बन्धी सुझाव देगा।

अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य के विधान मण्डल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयु€त होनेवाली या किन्ही अन्य भाषाओं को या हिन्दी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रजी का प्रयोग यथावत रहेगा।

अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा प्रधिकृत भाषा एक राज्य और दुसरे राज्य के बीज में तथा किसी राज्य और संघ की राजभाषा होगी यदि कोई राज्य परस्पर हिन्दी भाषा का स्वीकार करेंगी तो उस भाषा को प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसं या का एक बड़ा भाग वह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जानेवाली भाषा की उस राज्य में मान्यता हो जाए अर उस निमित्त से माँग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिदिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपवन्ध न करे तब तक उच्चतम न्यायलय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन में विधेयको, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी।

अनुच्छेद 349 के अनुसार राज्य भाषा से स बन्धित संसद्यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिपारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चातÄ ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 350 के अनुसाद प्रत्येक व्यि€त किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाले किसी भाषा मे अ यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। जिनका पालन हिन्दी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। आठवी अनुसूची का भाषाऊँ असमीया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कशमीरी, गुजराती, तामिल, तेलेगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिन्धी, हिन्दी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोड़ो, सन्याली, डोगरी, मैथिली (22 भाषाऊँ)।

3. **राजभाषा हिन्दी की समस्याएँ का समाधान–** हिन्दी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ई में जर्मनी के स्वंतन्त्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि एक वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगें जो नहीं करेगें उन्हे नौकरी से वर्खास्त कर दिया जाएगा। एक वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा राष्ट्रभाषा बन गई परन्तु भारत में अंग्रजी के भ€तों के कारण यह राजभाषा पूर्णतः नही बन पाई है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रजी में व्यवहार करने को गर्व समझाते है। वे गाँधीजी की बातों को भूल जाते हैं।

4. **राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर**– जो भाषा किसी राज्य का काम काज होता है, उसे राज्यभाषा कहते है, राज्य द्वारा उसे मान्यता दी जाती है। इसके विपरीत राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। भारतीय संविधान में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए हिन्दी के अतिरि€त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई है। संविधान की अष्टम अनुसूचि में कुल 22 भारतीय भाषाओं में स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहें तो एक से अधिक भाषाओं की अपने राज्य की राजभाषा घोषित कर सकती हैं। राष्ट्रभाषा स पुर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्रात: वह अधिकाधिक लोगोंद्वारा बोलि और समझी जानेवाले भाषा होती है। प्राय:राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। भारत में 22 भाषाएँ राष्ट्रभाषाएँ मानी जाती है।

5. **राष्ट्रभाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा हिंदी**– आज हिन्दी के बहुत से लोग राष्ट्रभाषा के रुप में देखते है। कुछ इसे राजभाषा में के रुप में प्रतिष्ठित देखना चाहते है। जव कि कुछ का मानना है की हिन्दी संपर्क भाषा के रुप में विकसित हो रही है।

राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है किसी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा। यद्यपि हिन्दी का व्यवहार संपूर्ण भारतवर्ष में होता है, लेकिन हिन्दी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा नही कहा गया है। चुँकि भारतीय सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से विविधताओं का देश है। इस राष्ट्र में किसी सर्वमान्य होना निश्चित नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में देश की चूनिंदा भाषाओं को संविधान के आठवी अनुसूची में रखा है। शुरू में इनकी सं या 16 थी, जो आज बढ़कर 22 हो गई है। ये सब भाषाए भारत की अधिकृत भाषाएँ हैं, जिनमें भारत देश की सरकारी का काम होता है। भारतीय मुद्रा नोट पर 16 भाषाओं में नोट का मूल्य अंकित रहता है और भारत सरकार इन सभी भाषाओं के विकास के लिए संविधान अनुसार प्रतिबद्ध है।

राजभाषा शŠद अंग्रजी के Official language के लिए व्यवहार होता है। भारतीय संविधान में इसे परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संध की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाले हिन्दी और अंकों का स्वरुप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय स्बरुप होगा। ध्यान रहे देवनगरी अन्य भारतीय भाषाओं यथा मराठी, नेपाली आदि की भी लिपि है। इस प्रकार केन्द्र सरकार के कार्यलयों, उपक्रमों निकायों व संस्थाओं की कार्यालयो भाषा हिन्दी है। जो राजभाषा के रुप में परिभाषित है।

कुछ लोग हिन्दी को संपर्क भाषा के रुप में मानते है। संपर्क भाषा से अभिप्राय है लोगों के आपसी संपर्क की भाषा। यह संपर्क जरुरी नहीं कि हिन्दी भाषाओं के बीच ही हो, बल्कि भारत देश के किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यि€त के साथ संपर्क करने पर उससे संवाद की भाषा के रुप से है।

इस रुप में हिन्दी धीरे–धीरे जगह बना रही है। इस नाते हिन्दी देश को जोड़ने का काम करती है। लेकिन यह निर्विवाद नहीं है। यद्यपि हिन्दी संपूर्ण भारत राष्ट्र में बोलो जाती है। लोगो का एक ऐसा भी है जो हिन्दी को बोलने वालों की सं या के आधार पर विश्व की प्रथम भाषा होने का दर्जा देता है। यद्यपि विभिन्न सर्वेक्षणों में हिन्दी विश्व की पाँच सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में स्थान पाती रही है।

भारतीय संविधान में जिस राजभाषा की परिकल्पना की गई है, वह हिन्दी है जो भारत की विभिन्न संस्कृतियों, बोलियों, उपबोलियों से शŠद ग्रहण करते हुए विकसित हो। संबिधान का अनुच्छेद 351 कहता है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रचार बँढ़ाए, उसका विकाश करे, ताकि वह भारत की सामाजिक, संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यि€त का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवी अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयु€त रुप, शैली और पदो को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक यह वांछनीय हो वहाँ उसके शŠद भांडार के लिए मु यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शŠद ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

निष्कर्ष : भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों के व्य€त करते है। हिन्दी वह भाषा है जो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाते है प्रत्येक राष्ट्र की कोई न कोई राष्ट्रभाषा अवश्य होती है। हमारे देश भारत की

राष्ट्रभाषा हिन्दी है जो कि भारत के अधिकतर राज्यों के लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। देश की राष्ट्रभाषा का स□मान करना प्रतेक व्य€ित का कर्तव्य होता है।

भारत में संवैधानिक रुप से बाईस भाषाओं के मान्यता दी गई है परन्तु हिन्दी ऐसे भाषा है जो संपूर्ण देश के आपस में जोड़ने में सहयोग देती है। स्वंतन्त्रता से पूर्व भी भारतीयों की हिन्दी ने जोड़ें रखा। सभी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, लाल बाहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, जवहरलाल नेहेरु आदि ने हिन्दी की सश€त भाषा के रुप में स्वीकार किया। हिन्दी भाषा हमारे राष्ट्र की एकता, स□मान तथा विकाश का आधार है। जिस प्रकार सभी व्य€ित अपने देश की राष्ट्रभाषा का स□मान करते है उसी प्रकार हमें भी अपने राष्ट्रभाषा का स□मान करना चाहिए।

किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा का होना गौरव की बात होने के साथ ही अत्यधिक स□मान देनेवाला भी होता है। भारतवर्ष पूरे विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसकी धारा ने अनेक संस्कृतियों का जन्म हुआ। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक भाषाएं पुष्पित एवं पल्लवित हुई। कशमीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश सदैव विचारों एवं भावनाओं से आंदोलित होता रहा है। इसी भावनाओं एवं विचारों के लिए हमें राष्ट्रभाषा की जरुरत महसुस हुई।

किसी भी देश की प्रगति एवं एकता तथा अखंडता एक राष्ट्रभाषा के अभाव में संभव नहीं है। इस बात को सबसे पहले स्वतन्त्रँता आंदोलन के दौरान मेहसूस किया गया। ऐसी भाषा का राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित किया गया। जिस नि□ नांकित गुण शामिल हो–

1. वह राष्ट्र के बहुसं□य कों द्वारा बोली जाती हो।
2. वह राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं भाषिक विरासत की सश€त उतराधिकारी हो।
3. उसकी शŽद सामर्थ्य एवं अभिव्यंजना क्षमता उकृष्ट हो।
4. उसकी न्यायकरणिक क्षमता सरल, बोधग□ य एवं वैज्ञानिक हो।
5. उसका व्यापक क्षेत्रीय विस्तार हो।
6. उसकी प्रकृति विकासोन्मुखी हो जिससे नये शŽदों एवं ध्वनियों को आत्मसात कर सके।

वर्तमान में हिन्दी भाषा को लेकर जितनी कठिनाई का रोना गया जा रहा है, वास्तव में उतना कुछ नहीं। अब विज्ञान जैसे विषयों की पुस्तकों का लेखन भी हिन्दी में होने लगा है।

जब विश्ब के अन्य देश अपनी मातृभाषा में पढ़कर उन्नति कर सकते है, तब हमें राष्ट्रभाषा अपनाने में झिझक €यों होना चाहिए। राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पत्र व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए।

<u>सहायक ग्रन्थ:</u>

1. राजभाषा सहायिका– अवधेश मोहन गुप्त।
2. राजभाषा हिन्दी– डॉ भोलानाथ तिवारी।
3. हिन्दी भाषा, राजभाषा और लिपि– परमानंद पांचाल
4. राजभाषा हिन्दी और उसका विकाश– बाछोतिया।